न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

आदेश

विविध वाद सं0– 18 / 2006–07

प्रथम पक्ष – किरण मुण्डा वगै0....
बनाम
द्वितीय पक्ष – झारखण्ड सरकार ....

आदेश की क0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
18.7.21	प्रस्तुत वाद अपीलार्थी 1. किरण मुण्डा, 2. अनील मुण्डा 3. नेलशन मुण्डा 4. रोयन मुण्डा 5. कमल मुण्डा सभी पिता – स्व0 बिलकल मुण्डा, 6. सबन मुण्डा 7 हरमन मुण्डा 8. बरना बस मुण्डा 9. गोसनर मुण्डा सभी पिता– स्व0 तेलेम मुण्डा 10. एनेम मुण्डा पिता– स्व0 मंगल मुण्डा सभी ग्राम – टुरूण्डू, थाना – कामडारा, जिला – गुमला के द्वारा मौजा – टुरूण्डू के खाता सं0 192 के संबंध में अपील दायर किया गया।	

वादगत् भूमि का विवरण

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
टुरूण्डू	192	1489	4.76 एकड़

कुल रकबा 4.76 एकड़

अपीलार्थी के द्वारा दाखिल विविध वाद को सुनवाई हेतु इस वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी के द्वारा दाखिल विविध वाद में कहा गया है कि खाता सं0 192 के अवशेष भूमि को पंजी ।। में दर्ज करने एवं रसीद निर्गत करने हेतु दाखिल किया गया है। अपील आवेदन पर कार्रवाई प्रारम्भ कर अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अपीलार्थी की ओर से लिखित बहसः–

अपीलार्थी नोटिस प्राप्त कर अपने प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए। उक्त विविध वाद में जवाब दाखिल किये है कि मौजा – टुरूण्डू, थाना – कामडारा, थाना नं0 – 40 जिला – गुमला के खाता नं0 192, कुल प्लॉट – 1489, रकबा – 4.76 एकड़ भूमि है। खतियानी रैयत हीरनुमुस मुण्डा वो जुसब मुण्डा वो मारटीन मुण्डा पेशरान मसीदास मुण्डा वो तेलेम मुण्डा वो हेरमन मुण्डा वो मंगल मुण्डा पेशरान बेनामी

मुण्डा के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत का रैयती जमीन है जिसका वंशावली निम्न प्रकार है :–

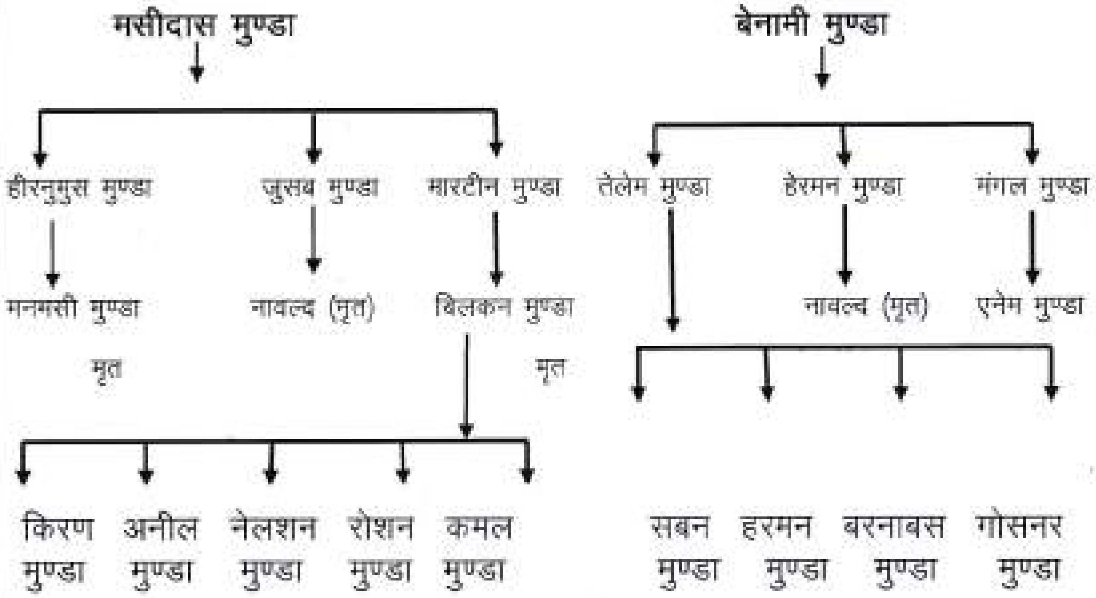

यह कि खाता नं0 192 कुल रकबा 7.68 डी0 जमीन मौजा टुरूण्डू थाना–कामडारा, जिला गुमला में है जो आवेदकगण का दखल कब्जा में है, जामाबन्दी भी मनमसी मुण्डा वगै0 के नाम से चल रही है। लेकिन खाता नं0 192 प्लॉट नं0 1489 रकबा 4.76 डी0 का पंजी II में (दर्ज) नहीं हुआ है। पंजी II में दर्ज क्यों नहीं हुआ इसका कारण कर्मचारी और अंचल निरीक्षक द्वारा ही बताया जा सकता है। यह कि विवादित भूमि खतियानी रैयत का रैयती (काएमी) जमीन है खतियान में काएमी दर्ज है इस लिए बिना उपायुक्त के अनुमति के दूसरों के पास नहीं जा सकता है।

यह कि वर्ष 1939–40 में जमीनदार द्वारा पानी जामा (बान्ध) करने का निर्माण गॉव के लोगों के खेतों की सिंचाई के लिए अन्दर दफा 50 छोटानागापुर कास्तकारी अधिनियम के तहत जमीनदार द्वारा दिया गया आवेदन को उपायुक्त रॉंची के द्वारा 29.03.1941 को खारिज कर दिया गया है तो किस आधार पर विवादित भूमि को पंजी II के पेज नं0 214 में बिहार सरकार के नाम से कैसे दर्ज हो गया। विवादित भूमि को कभी भी सरकार या किसी अन्य के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। तथा आवेदकगण अभी भी (जड़) फिजिकल लगातार बिना किसी के आपत्ति से उस पर दखल में चले आ रहे है। आवेदकगण गरीब अनुसूचित जन जाति के आदिवासी समुदाय के है। यदि जिसका रकबा 4.76 डी0 भूमि अवैध तालाब (बान्ध) में चला जायेगा तो उनलोगों को भारी क्षति होगा। उनके पास खेती उद्देश्य के लिए कोई जमीन नहीं है। इस लिए सरकार के इच्छा द्वारा तालाब बनाने के लिए उक्त भूमि को लिया जाना गैरकानुनी है।

अंचल अधिकारी, कामडारा अपने रिपोर्ट में उचित मांग निर्देशन की मांग न्यायालय से की है अपने रिपोर्ट में उल्लेखित किया है कि भूमि खतियानी रैयत हिरनुमुस मुण्डा वगै0 के नाम से दर्ज है। पंजी II में जामाबन्दी बिहार सरकार के नाम चल रही है लेकिन क्यों चल रही है इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

सरकार के द्वारा किसी भी तरह से यह भूमि प्राप्त नहीं कर सकता है। आवेदक छोटे जोत किसान है और गर तालाब के लिए भूमि ले ली जायेगी भारी (अपूर्णीय) क्षति होगा। विवादित जमीन आदिवासी खाता का है और आदिवासी खाता के जमीन को धारा 49 पर किसी आम जनता का उद्देश्य से अनुमति प्राप्त नहीं गयी है इसलिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कामडारा के द्वारा काम कराया गया है अनुचित है। खाता नं0 192 प्लॉट नं0 1489 रकबा 4.76 डी0 जामाबन्दी आवेदकों के नाम से जामाबन्दी करने का आदेश अंचल अधिकारी, कामडारा के द्वारा पंजी II में भी सुधार करने का आदेश पारित किया जाय आवेदकों के आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

अपीलार्थी की ओर से दाखिल कागजात।

1 खतियान की छायाप्रति।

अंचल अधिकारी, कामडारा का जॉच प्रतिवेदन में राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार मौजा टुरूण्डू के खाता 192 प्लॉट 1489 रकबा 4.79 खतियानी रैयत डेडेम मुण्डा वो हेरमन मुण्डा वो मंगल मुण्डा पे0 बेनामी मुण्डा एक हिस्सा बराबर वो बवना मुण्डा वल्द जोहन मुण्डा वो मचुवा मुण्डा वो डुलडा मुण्डा वा हिरनुस मुण्डा वो जुसब मुण्डा वो मार्टिन मुण्डा पे0 भागीदास मुण्डा के नाम से दर्ज है।

पंजी II के अनुसार मौजा टुरूण्डू खाता 192 प्लॉट 1489 रकबा 4.79 डी0 भूमि पंजी II रैयत बिहार सरकार बेलगान ताबला किस्म की है। वर्षो पूर्व बने बांध (तालाब) का उपयोग ग्रामवासी कर रहे है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त तथ्यों एवं अपीलार्थी के दाखिल दस्तावेज लिखित जवाब, बहस सुनने एवं अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद मौजा – टुरूण्डू के खाता नं० 192 का शेष प्लॉट नं० –1489, कुल रकबा 4.76 डी० भूमि से संबंधित है। अंचल अधिकारी, कामडारा के जॉच प्रतिवेदन में पंजी II रैयत बिहार सरकार बेलगान किस्म की है। अतः अपीलार्थी किरण मुण्डा वगैरह के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2023.12.04 11:43:15 +05:30
Location: 192.168.0.25